

फा.सं. 3.9(4)/2019- एस सी यू
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली

दिनांक : 01.07.2019

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय पात्र डी एल वाई टैक्सी/ मिनी बस प्रदाता, जो संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली से 10-12 कि.मी. के क्षेत्र के भीतर अवस्थित हो, के साथ संविदा करने का प्रस्ताव करता है।

2 तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग को ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियां / मिनी बस की आपूर्ति करने के लिए ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग को मोटे तौर पर निम्नलिखित पांच श्रेणियों की अपेक्षाएं होंगी :-

- (i) प्रतिदिन 3 से 6 वाहन की दैनिक आवश्यकताएं।
- (ii) परीक्षा और अन्य दिनों में विशेष बड़े पैमाने पर अपेक्षा होने पर, 150 वाहन तक वास्तविक अपेक्षाओं पर निर्भर है, किराए पर लिए जा सकते हैं।
- (iii) आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के उपयोग के लिए अच्छी किस्म के वाहन जैसे हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडॉन, सेडान, एमपीवी (बहुउद्देशीय वाहन), एसयूपी (खेल में प्रयुक्त होने वाले) वाहन जैसे वैन आर/ स्विफ्ट/ होंडा अमेज/ सियाज/ एरटिगा/ स्कॉर्पियो/ इनोवा आदि की दैनिक आवश्यकताएं। ऐसे वाहन बहुत ही साफ-सुथरी स्थिति में होने चाहिए और 3 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (iv) आयोग द्वारा विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की व्यवस्था के लिए लगजरी वाहन जैसे टोयोटा ऑल्टिस, होंडा सिविक आदि की विशेष आवश्यकता।
- (v) 15-20 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली मिनी बस। तथापि यह आवश्यकता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश देने हेतु वैकल्पिक है परन्तु बोलीदाता द्वारा दरें उद्धृत करना अनिवार्य है।

3. समय-समय पर आवश्यकताओं में अंतर हो सकता है और वाहन की शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश पर आवश्यकता हो सकती है जो वास्तविक आवश्यकता पर भी निर्भर

करता है। बोलियां उपर्युक्त किसी अथवा सभी श्रेणियों के लिए दी जाएं। तथापि बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज के सभी निबंधन एवं शर्तों को पूरा करना होगा।

निविदा दस्तावेज, सं. लो. से. आ. की वेबसाइट www.upsc.gov.in और सीपीपी साइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से डाउन लोड की जा सकती है जिनकी समय सीमा क्रिटिकल डेट शीट में दी गई है जो निम्नानुसार है :-

क्रिटिकल डेट शीट

प्रकाशित किए जाने की तारीख	01.07.2019
बोली दस्तावेज को डाउन लोड करने की तारीख	01.07.2019
बोली प्रस्तुत करने की आरम्भिक तारीख	01.07.2019
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	25.07.2019 को 15.00 बजे
बोली को खोलने की तारीख	26.07.2019 को 15.30 बजे

3.1 बोलियां केवल सी पी पी पी वेबसाइट: <https://eprocure.gov.in/e-procure/app> पर प्रस्तुत की जा सकती है। प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठ, दस्तावेजों के विषय वस्तु की प्रकृति से असंबद्ध रहते हुए दस्तावेजों को अपलोड करने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर तथा क्रमिक रूप से अवश्य डाली जानी चाहिए। वेबसाइट पर एकल भाग या फोल्डर में अपलोड की गई बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.2 निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि ई-प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल "<https://eprocure.gov.in/e-procure/app> के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को अनुदेश" में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

फैक्स / ई-मेल अथवा अन्य किसी भी तरीके से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

नोट:-

यदि इस कार्यालय के लिए बोली जमा करने की निर्धारित तारीख को अवकाश हो या बाद में अवकाश घोषित कर दिया जाता है अवकाश या फिर उस दिन कार्यालय बंद होता है तो इस कार्यालय के अगले कार्यदिवस को बोली नियत समय अर्थात् 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन 3.30 बजे खोली जाएगी ।

4. दो बोली प्रणाली:

(क) तकनीकी बोली: बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों सहित अनुबंध- II में दी गई जांच सूची में वर्णित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की गई हो, प्रस्तुत करनी चाहिए ।

4.1 विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान बोलीदाता का वार्षिक कारोबार 100 लाख रू. प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । वार्षिक कारोबार के विवरण को दर्शाने वाली चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए ।

4.2 उपर्युक्त विवरण के अलावा बोलीदाता को फर्म के वार्षिक कारोबार के प्रमाण के रूप में विगत तीन वर्षों अर्थात् 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 के वार्षिक खातों की प्रतियां, जो विधिवत रूप से चार्टरित लेखाकार से प्रमाणित की गई हो, भी प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

4.3 बोलीदाता विगत तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की आयकर विवरणी की प्रतियां अवश्य प्रस्तुत करें ।

4.4 बोलीदाता 31.3.2018 तक स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाए गए वाहनों की सूची सहित 2017-18 की आयकर विवरणी अवश्य प्रस्तुत करें ।

4.5 बोलीदाता के पास कम से कम 60 डी एल वाई टैक्सियां होनी चाहिए जिसमें से 30 एसी तथा 30 नॉन एसी डी एल वाई टैक्सियां अर्थात् वैगन आर/ स्विफ्ट/ आई 10 / स्विफ्ट डिज़ायर/ ह्युंदई एकसेन्ट/ होंडा अमेज/ सियाज/ होंडा सिटी/ ह्युंदई वर्ना/ इको/ एरटिगा/ स्कोपियो/ डस्टर/ इनोवा/ टोयटा अल्टिस/ होंडा सिविक आदि जो 2014 मॉडल के समकक्ष प्रस्तुत परंतु पुरानी न हो । वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किराए पर लिए गए वाहन तथा लक्जरी वाहन 2016 से पुराने मॉडल के न

हों। 60 डी एल वाई टैक्सियों के स्वामित्व के समर्थन में बोलीदाता वाहन के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेंगे। एक अलग शीट पर बोली में वाहनों की सूची उनकी पंजीकरण सं., बनावट तथा मॉडल एवं उनमें वाहनों की एसी स्थिति भी निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए। **इन 60 वाहनों में से 10 सियाज/होंडा सिटी/ ह्यूंदई वर्ना या समकक्ष वाहन 2016 से पहले के मॉडल के नहीं होने चाहिए।**

- 4.6 सं.लो.से.आ. को 15-20 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली मिनी बस की भी आवश्यकता है और बोलीदाताओं को अपने स्वामित्व वाले वाहनों के विवरण को भी प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे वाहन का स्वामित्व न होने की स्थिति में बोलीदाता आयोग को आवश्यकता पड़ने पर मिनी बस की व्यवस्था करने का वचन बंध प्रस्तुत करेंगे। इस अपेक्षा के लिए दरें उद्धृत करना बोलीदाता के लिए अनिवार्य है लेकिन सं. लो. आ. द्वारा किराए पर लेना वैकल्पिक है।
- 4.7 बोलीदाता के पास हाल ही में विगत में सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त संगठन / विभागों को वाहन की सेवाएं प्रदान करने का 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में 4 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं।
- 4.8 बोलीदाता के पास आज की तारीख में दो जारी / चालू संविदा होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में कार्य आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 4.9 बोलीदाता को पैन कार्ड की प्रति तथा सेवाकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।
- 4.10 इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जिसमें यह वर्णित हो कि ए सी / नॉन-ए सी वाहन जो प्रदान किया जाएगा वह विद्यमान यूरो / भारत स्टेज मानक के होंगे या समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लागू किसी अन्य मानक के अनुसार होंगे।
- 4.11 इस आशय का एक प्रमाण-पत्र निविदाकर्ता / डी एल वाई आपरेटर से लिया जाए कि मांग पर कार्य पर नियुक्त किए जाने वाले वाहन चालक को दिल्ली की सड़कों का पूरी तरह से अनुभव है, प्रस्तुत किया जाए।
- 4.12 बोलीदाता से एक प्रमाण-पत्र लिया जाए जिसमें यह वर्णित हो कि उन्हें सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, इसे बोलीदाता द्वारा अनुबंध-III में संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4.13 बोलीदाता कृपया नोट करें कि उन्हें उनकी वित्तीय बोली में सभी श्रेणी के वाहनों अर्थात् अनुबंध-1क में अनुबंध-1त की सभी 16 मूल्य अनुसूची की सभी मदों के लिए

दरें उद्धृत करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वे बोलीदाता जो सभी मदों और या मूल्य अनुसूची की सभी तालिकाओं के लिए दरें उद्धृत नहीं करते हैं उन्हें गैर जिम्मेदार माना जाएगा तथा उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) वित्तीय बोली: दैनिक/अधिक मात्रा की/ वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकताओं के लिए अनुबंध-1क (टेबल 1) से अनुबंध-1ठ (टेबल 12); लज्जरी वाहनों की विशेष आवश्यकता के लिए अनुबंध-1ड (टेबल 13) से अनुबंध-1 ढ (टेबल 14) तथा मिनी बस के लिए अनुबंध-1ण (टेबल 15) से अनुबंध-1त (टेबल 16) तक की वित्तीय बोली BOQ (.xls) प्रपत्र में ही अपलोड किया जाना चाहिए।

4.14 तकनीकी बोली उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख को 3.30 बजे अपराह्न में ऐसे बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधि जो इसमें उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोली जाएगी।

4.15 केवल उन बोलीदाता (बोलीदाताओं) की वित्तीय बोली (बोलियां) को अनुवर्ती तारीख में खोला जाएगा जिनकी बोलियाँ तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात तकनीकी रूप से स्वीकार्य मानी जाएगी।

4.16 काल्पनिक / सशर्त / अपूर्ण बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. देर से प्राप्त बोलियां- उपर्युक्त पैरा-3 में यथानिर्दिष्ट विशिष्ट तारीख एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. जमा धरोहर राशि (ई एम डी)

6.1 2,25,000 ₹0 (दो लाख पच्चीस हजार ₹. मात्र) की मूल जमा धरोहर राशि की हार्ड प्रति जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / मियादी जमा रसीद / बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के रूप में हो और जो सचिव, सं.लो.से.आ., नई दिल्ली-110069 के नाम से देय हो, को क्रिटिकल डेट शीट में यथावर्णित बोली के खुलने की तारीख / समय पर या उससे पहले सं. लो. से. आ. को सुपुर्द की जानी चाहिए।

6.2 जमा धरोहर राशि अंतिम निविदा वैधता अवधि से 45 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

6.3 बोली की वैधता अवधि के भीतर यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली को वापस लेता है या उनमें, कोई संशोधन करता है या विकृत करता है या उनमें किसी प्रकार की कमी करता है तो बोलीदाता की जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इसके

अतिरिक्त, यदि सफल बोलीदाता विनिष्ठा, अवधि के भीतर अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो उसकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

- 6.4 वित्तीय बोली खुलने के बाद, अगर बोलीदाता निविदा की प्रारंभिक अवस्था में बहुत कम उद्धृत दर, संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं की पूर्ति में असमर्थता जैसे कारण उद्धृत करते हुए पीछे हटता है, तो बोलीदाता की जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, फर्म को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और संघ लोक सेवा आयोग की निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
- 6.5 संविदा को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद, सभी असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि को बिना किसी ब्याज के, चाहे जो भी हो, लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता (ओं) को जमा धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने के बाद लौटा दी जाएगी।

7. निष्पादन प्रतिभूति

- 7.1 इस निविदा के लिए प्रस्तावित कुल निष्पादन प्रतिभूति 14.00 लाख रूपए (केवल चौदह लाख रूपए) है। अपनी पंजीकरण स्थिति इत्यादि का ध्यान किए बिना सफल बोलीदाता को उनको प्रदान की गई वाहन की श्रेणी के अनुसार अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति को प्रस्तुत करना होगा। निष्पादन प्रतिभूति की राशि वाहनों की श्रेणी के अनुसार आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरणस्वरूप एनआईटी में 8 श्रेणी (टेबल-16) के वाहन हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए 2 फर्म अर्थात् एल-1 और एल-2 को शार्टलिस्ट किया जाएगा। अतः कुल मिलाकर सभी 16 एल-1 और एल-2 फर्मों को शार्टलिस्ट किया जाएगा। यदि 6 श्रेणियों के संदर्भ में एल-1 अथवा एल-2 फर्म के तौर पर कोई फर्म चुनी जाती है तो, उस फर्म को $(6 \div 16) \times 14 = 5.25$ लाख रूपए की आनुपातिक निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई फर्म 4 श्रेणियों में एल-1 अथवा एल-2 है तो, उसे $(4 \div 16) \times 14 = 3.50$ लाख रूपए की निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता को, किसी भी वाणिज्यिक बैंक से सचिव सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंक गारंटी / मियादी जमा रसीद के स्वीकार्य रूप में निष्पादन प्रतिभूति संविदा प्रदान करने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

- 7.2 निष्पादन प्रतिभूति आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्व पूरे होने की तारीख से अगले साठ दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी।

- 7.3 निष्पादन प्रतिभूति संविदा सभी प्रकार से विधिवत निष्पादित एवं पूर्ण होने के बाद आपूर्तिकर्ता को बिना किसी ब्याज के, चाहे जो भी हो, लौटा दी जाएगी।
- 7.4 यदि फर्म संविदा के किसी भी निबंधन एवं शर्तों को निष्पादित करने में असफल रहती है तो निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा, इसके अलावा उन्हें ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है।
- 7.5 बोलीदाता को अपनी बिना शर्त दरें पूर्णतः अनुबंध-1 के अनुसार उद्धृत करनी चाहिए। कटिंग / ओवरराईटिंग, यदि कोई हो, को प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत् रूप से मुहर लगाई जानी चाहिए तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
- 7.6 प्रत्येक बोलीदाता को अनुबंध-1-क से अनुबंध-1-त की मूल्य अनुसूची में मांगे गए सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए दरें उद्धृत करनी हैं अर्थात् उन्हें दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकताओं के लिए (तालिका 1 से तालिका 12), लग्जरी वाहनों की विशेष आवश्यकताओं के लिए (तालिका 13-14) और मिनी बस (तालिका 15-16) की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत करनी हैं।
8. यदि कोई बोलीदाता केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को पहले से ही ए सी / नॉन-ए सी डी एल वाई टैक्सियों की सेवाएं दे रहा है तो बोली के साथ कार्य आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9. अन्य निबंधन एवं शर्तें

- 9.1 बोली खुलने की तारीख से बोली 180 दिनों के लिए वैध रहेगी। बोली की वैध अवधि के दौरान फर्मों को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा फर्म द्वारा जमा की गई जमा धरोहर राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी।
- 9.2 संविदा संबंधित फर्म से निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। तथापि संविदा को एक और वर्ष के लिए उन्हीं दरों तथा निबंधन एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।
- 9.2.1 संभावित बोलीदाता कृपया नोट कर लें कि एसी / नॉन-एसी डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए इस कार्यालय द्वारा दो टैक्सी आपरेटरों के पैनल एल-1 एवं एल-2 बनाए जाएंगे। ए सी / नॉन- ए सी टैक्सियां उस दर पर किराए पर ली जाएंगी जिसकी दर सबसे कम (एल-1 दर) होगी जैसाकि एल-1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत या समझौता किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यक्षीन होगी। यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि एसी / नॉन एसी टैक्सियां एल-2 बोलीदाता जिसका नाम पैनल में शामिल किया गया है, उसी दर पर किराए पर ली

जाएगी जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है। अतः बोलीदाता अलग से एक अथवा अधिक क्षेत्रों में एल-1 अथवा एल-2 के रूप में आ सकते हैं। एल-1 और एल-2 विक्रेता वाहनों के प्रत्येक श्रेणी में बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर अलग से प्रत्येक श्रेणी (अनुबंध-1-क से अनुबंध-1-त) (तालिका 1-16) के लिए निर्णय लेंगे। बोलीदाता इस बात पर विशेष ध्यान दें कि एल-2 बोलीदाता को एल-1 अनुमोदित दरों पर ही वाहन उपलब्ध कराने होंगे। इस कार्यालय की 50% आवश्यकताओं के लिए एल-2 बोलीदाता से वाहन किराए पर लिया जाएगा।

9.2.2 यदि अनुमोदित एल-1/एल-2 बोलीदाता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में दोष होता है तो अनुमोदित एल-1 दर पर अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं के वाहनों को भी किराए पर लिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए बोलीदाताओं की पूर्व सहमति से संविदा में भाग ले रहे बोलीदाताओं का एक पैनल बनाया जाएगा।

9.3 बोलीदाता निविदा आमंत्रण सूचना के निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1-क से अनुबंध-1-त) में वित्तीय बोली प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाताओं द्वारा पूरे दिन के लिए 80 किलोमीटर और 10 घंटे एसी रहित प्रत्येक श्रेणी के वाहनों के लिए उद्धृत दरों के मूल्यांकन के आधार पर एल-1 और एल-2 बोलीदाताओं का निर्णय किया जाएगा। उसके पश्चात एल-1 और एल-2 फर्मों की दरों की तुलना की जाएगी और तालिका-1 से तालिका-16 में उल्लिखित अन्य सभी मदों के संबंध में एल-1 और एल-2 फर्मों द्वारा उद्धृत न्यूनतम दरों के आधार पर अंतिम दरें अनुमोदित की जाएंगी। एल-1 और एल-2 फर्म उद्धृत/निर्धारित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एल-1 दरों पर डी एल वाई टैक्सियां उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगी। एल-1/एल-2 फर्म के मूल्यांकन हेतु एक नमूने का उल्लेख अनुबंध-1 में किया गया है।

9.4 **जोखिम किराया खंड:-** यदि एल-1 एवं एल-2 बोलीदाता वाहनों की अपेक्षित संख्या की आपूर्ति करने में असफल रहते हैं तो इस कार्यालय को एल-1 एवं एल-2 बोलीदाता के जोखिम एवं लागत पर अन्य टैक्सी स्टैंड से डी एल वाई टैक्सियां किराए पर लेने का अधिकार है। वैकल्पिक व्यवस्था और एल-1 की निविदा मूल्य के बीच लागत अंतर को एल-1/ एल-2 बोलीदाता के लंबित बिल/ निष्पादन प्रतिभूति से वसूला जाएगा। यदि सं.लो.से.आ. को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बाध्य किया जाता है तथा यदि कीमत कम हो तो इसके लिए मद पर कोई भी लाभ एल-1/ एल-2 बोलीदाता को नहीं दिया जाएगा।

9.5 इस कार्यालय की एक टीम उनकी उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए बोलीदाताओं के परिसर का दौरा करेगी और डी एल वाई टैक्सी की आपूर्ति के लिए बोलीदाता की उपयुक्तता के संबंध में सं.लो.से.आ. को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के निर्णय को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो तकनीकी रूप से अर्हक बोलीदाताओं का निर्णय करेगा।

- 9.6 यदि बोली की प्रस्तुति एवं उसे विधिवत स्वीकार करने अर्थात् संविदा को प्रदान किए जाने के बाद संविदाकर्ता इन निविदा दस्तावेजों के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन करने में असफल रहते हैं या अपनी संविदा अवधि को पूरा करने में असफल रहते हैं या संविदा का किसी भी समय परित्याग कर देते हैं, तो सं.लो.से.आ. को यह अधिकार होगा कि वह जमा धरोहर राशि को जब्त कर ले या निष्पादन प्रतिभूति, यदि बोलीदाता द्वारा जमा की गई, को भुना ले।
- 9.7 प्रदान किए गए वाहन प्राधिकृत रूप से टैक्सी के रूप में प्रयुक्त होंगे तथा संबंधित क्षेत्रों में चलाए जाने की समुचित अनुमति होनी चाहिए।
- 9.8 संविदाकर्ता अल्प समय की सूचना पर (45 मिनट के भीतर) ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियां प्रदान करने के लिए सक्षम होना चाहिए। नियमित मांग के लिए टैक्सी को 30 मिनट पहले निर्धारित स्थल पर पहुंचना होगा।
- 9.9 टैक्सी में लगाए गए ड्राइवर के पास टैक्सी के प्रचालन के लिए यातायात प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र जैसे रोड टैक्स क्लीयरेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, व्यावसायिक प्रमाण-पत्र आदि सभी उद्धृत किए गए वाहनों के साथ होना चाहिए।
- 9.10 वाहन पूरी तरह से बीमांकित होना चाहिए और उसके लिए राज्य परिवहन विभाग / प्राधिकरण से आवश्यक परमिट प्राप्त होना चाहिए।
- 9.11 नियुक्त किए गए ड्राइवर को दिल्ली / नई दिल्ली के प्रमुख मार्गों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।
- 9.12 **शास्ति खंड :** संविदाकर्ता को नियमित आधार पर भाड़े के वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा जिन्हें प्रयोक्ता द्वारा मासिक / दैनिक आधार पर किराए पर लिया जाएगा, ऐसा न होने पर रूपये 1000/- प्रतिदिन, प्रति वाहन शास्ति लगाई जाएगी। दोबारा शिकायत आने पर 10 गुणा अर्थात् 2000/-, तीसरी बार 3000/- और इस प्रकार 10 शिकायतों तक शास्ति बढ़ाई जाएगी। यदि शिकायत 10 बार से अधिक होती है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। प्रतिभूति जमा / निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और बैंक गारंटी को भुना लिया जाएगा। प्रयोक्ता को निविदाकर्ता के जोखिम और लागत पर भाड़े के वाहनों की सेवा के लिए किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार होगा।
- 9.13 कार्य पर लगाए गए वाहन साफ - सुथरी अवस्था में हों। उपलब्ध कराए गए वाहनों की सामान्य दशा अच्छी होनी चाहिए। सीटें आरामदायक तथा पैर रखने का

समुचित स्थान होना चाहिए। सीटें हमेशा साफ सुथरे अच्छे किस्म के सीट कवर से ढककर रखनी चाहिए। यदि वाहन गंदी या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाया जाता है तो रूपये 1000/- प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी। दोबारा शिकायत आने पर 10 गुणा अर्थात् 2000/-, तीसरी बार 3000/- और इस प्रकार 10 शिकायतों तक शास्ति बढ़ाई जाएगी। यदि शिकायत 10 बार से अधिक होती है तो संविदा समाप्त की जा सकती है।

- 9.14 वाहन के खराब होने की स्थिति में उक्त वाहन को एक घंटे के भीतर बदलना होगा। उपयुक्त वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में 200/-रूपये प्रति घंटा की दर से शास्ति लगाई जाएगी जो एक दिन के लिए 1000/- रूपये से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा यदि संविदाकर्ता वाहन के खराब होने की स्थिति में एक घंटे के भीतर वैकल्पिक वाहन उपलब्ध नहीं करा पाता है और प्रयोगकर्ता को दूसरा वाहन किराए पर लेना पड़ता है तो संविदाकर्ता को उक्त वाहन का पूरा किराया वहन करना होगा।
- 9.15 अतिरिक्त घंटों के दौरान वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रत्येक अवसर के लिए 1000/- रूपये की दर से शास्ति लगाई जाएगी।
- 9.16 ड्राइवर को साफ सुथरी गहरी नीली वर्दी में होना चाहिए और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर के पास मोबाइल फोन होना चाहिए। यदि ड्राइवर समुचित वर्दी या बिना मोबाइल फोन के जूटी पर रिपोर्ट करता है तो फर्म पर प्रत्येक दोष के लिए 500/- (पांच सौ रूपए मात्र) की दर से शास्ति लगाई जाएगी।
- 9.17 किसी अधिकारी के साथ लगाई गई कार और ड्राइवर में प्रयोक्ता अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना परिवर्तन नहीं होगा। दोषी पाए जाने पर रूपये 1000/- प्रति अवसर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

जब भी और जहां भी यह पाया जाता है कि सौंपा गया कार्य प्रयोक्ता की पूर्ण संतुष्टि से पूरा नहीं किया गया है तो शास्ति खंड को लागू करते हुए 1000/- रूपये प्रतिदिन प्रति शिकायत की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

- 9.18 बिल, कार्यालय परिसर से शुरू होगा न कि टैक्सी स्टैंड से। प्रारंभिक और अंतिम किलोमीटर सं.लो.से.आ. से लिया जाएगा। मांग पर सभी वाहन मोटर यातायात पर्यवेक्षक, सं.लो.से.आ. को पहले अवश्य रिपोर्ट करें, जहां पर रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश दिनों को छोड़कर सभी दिनों में मीटर की रीडिंग नोट की जाएगी और उसके पश्चात गन्तव्य स्थल को जाएगी। रविवार तथा अन्य राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में गाड़ी सीधे पदनामित व्यक्ति को रिपोर्ट करेगी जहां मीटर रीडिंग प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं नोट की जाएगी।

- 9.19 कभी-कभी सं.लो.से.आ. को विशेष दिनों में भारी संख्या में डी एल वाई वाहनों (अर्थात 150 वाहन तक) की आवश्यकता होती है। संविदाकर्ता, स्वयं अपनी ओर से डी एल वाई टैक्सियों के अन्य संचालकों से संपर्क करके अतिरिक्त मांग की आपूर्ति करने के प्रति उत्तरदायी होंगे और ऐसे अतिरिक्त वाहन संविदा की दरों तथा शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराने होंगे। सामान्यतः सं. लो. से. आ. को प्रतिदिन 3-6 डी एल वाई वाहन तथा एक ए सी मिनी बस, जिसकी बैठने की क्षमता 15-20 व्यक्तियों की हो, किसी भी दिन किराए पर ली जा सकती है जो वास्तविक अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा।
- 9.20 संविदा की अवधि के लिए दरें एक समान रहेंगी। संविदा की अवधि के दौरान डी एल वाई टैक्सी की आपूर्ति की अनुमोदित दरों में किसी भी परिस्थिति में जैसे: बाजार में ईंधन की कीमतों में वृद्धि, या कोई अन्य कारण जो भी हो किसी प्रकार की वृद्धि का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9.21 यदि किसी अवसर पर यह पाया जाता है कि किसी वाहन का ड्राइवर समय तथा किलोमीटर के मामले में ड्यूटी स्लिप में मीटर की रीडिंग, या कार्य/यात्रा शुरूआत या समाप्ति में गलत समय भरता है तो टैक्सी स्टैंड इस सब के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे वाहन के बारे में इस कार्यालय को पूरे दिन का भुगतान रोकने का अधिकार है।
- 9.22 नि.आ.सू. में किए गए विभिन्न प्रावधानों के आधार पर संविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
- 9.23 बिल तथा ड्यूटी पर्ची आदि प्रस्तुत करने के पश्चात तथा संतोषजनक सेवा को ध्यान में रखते हुए तथा नि.आ.सू. में यथानिर्दिष्ट प्रावधानों को पूरा करते हुए भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।
- 9.24 आयोग को अधिकार है कि संविदा समाप्त करने के उद्देश्य से संविदाकर्ता को एक कैलेन्डर माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए संविदा समाप्त कर दे।
- 9.25 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवर हमेशा अनुशासन में, समुचित रूप से वर्दी पहने हुए तथा ड्यूटी के दौरान पूरे समय उपस्थित रहे। संविदाकार द्वारा तैनात व्यक्ति समुचित रूप से प्रशिक्षित हो, अपेक्षित अनुभव रखता हो और कार्य करने में कुशल हो।
- 9.26 संविदाकर्ता ड्राइवरों को वर्ष में दो बार गर्मी तथा सर्दियों की वर्दी के दो-दो जोड़े अपनी लागत पर उपलब्ध कराएगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ड्यूटी के

दौरान वर्दी पहने। प्रत्येक वर्ष की गर्मियों की वर्दी अप्रैल में तथा सर्दियों की वर्दी अक्टूबर माह में उपलब्ध करनी होगी।

- 9.27 ड्राइवरों को नियुक्त करने तथा उन्हें काम पर रखने तथा श्रम विधि तथा विनियमावली के अनुसार उनके वेतन भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी और इस प्रकार के नियमों के उल्लंघन को संविदा की शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।
- 9.28 संविदाकर्ता को किराए पर लिए गए वाहनों को चलाने के लिए अनुभवी तथा प्रशिक्षित ड्राइवरों को लगाना होगा और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करके वाहनों में यात्रा करने वाले अधिकारियों / कार्मिकों तथा अपने साथ ले जा रही आवश्यक सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस प्रकार, उपेक्षापूर्ण ढंग से वाहनों को चलाने या तेज ड्राइविंग से होने वाले किसी नुकसान के लिए ग्राहक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 29 के अंतर्गत अपराध है और उपभोक्ता को इस प्रकार होने वाली क्षति के लिए संविदाकर्ता जिम्मेदार होगा।
- 9.29 संविदाकर्ता को पदनामित परिवहन अधिकारी से मीटर की नियमित जांच करनी होगी और उपभोक्ता को प्रत्येक तिमाही में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 9.30 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराई गई कारें पूरी तरह से ठीक हालत में हैं। इसमें परफ्यूम होने चाहिए तथा अग्निशमन उपकरण विधिवत रूप से लगा होना चाहिए। इन अनुदेशों का पालन न करने की स्थिति में संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों से 50/- रु. प्रतिदिन की दर से कटौती कर ली जाएगी।
- 9.31 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। वे व्यवहार कुशल, संगत रूप से शिक्षित और यातायात के नियमों / विनियमों, शहर की सड़कों / रास्तों तथा सुरक्षा अनुदेशों से भली भांति परिचित हैं।
- 9.32 संविदाकर्ता को संपर्क के लिए तथा 24 X 7 दिनों के दौरान बुकिंग करने के लिए पर्याप्त टेलीफोन सेवाएं अपने पास रखनी होगी।
- 9.33 संविदाकर्ता अपने ड्राइवरों को ड्यूटी के दौरान तथा मृत्यु की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा और इस संदर्भ में उपभोक्ता का कोई दायित्व तथा जिम्मेदारी नहीं होगी। उपभोक्ता किराए पर लिए गए वाहन को पहुंची किसी हानि / क्षति या मृत्यु / या किसी व्यक्ति को पहुंची चोट या किसी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। संविदाकर्ता इन सब की मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी होगा।

9.34 संविदाकर्ता का ड्राइवर उपभोक्ता का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और वे अपने ड्यूटी/ कार्य के लिए संविदा के अंतर्गत किसी प्रकार का वेतन तथा भत्तों, मुआवज़ा, उनके रोज़गार/ ड्यूटी के दौरान होने वाली हानियों अथवा किसी भी बात के लिए दावा नहीं करेंगे। इस करार के अंतर्गत संविदाकर्ता को उन्हें ये सभी बातें लिखित में देनी होंगी।

9.35 संविदाकर्ता को अपनी लागत पर सभी संवैधानिक या अन्य लाभ अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करने होंगे और उपभोक्ता इस मामले में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। संविदाकर्ता श्रम कानूनों, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि विधियों, ई.एस.आई.सी. विधियों, आयकर विधियों तथा न्यूनतम मजदूरी विधि, संविदा श्रमिक (विनियमावली उन्मूलन अधिनियम) या अन्य लागू नियम के पालन के लिए बाध्य होगा।

9.36 मध्यस्थता

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच इस संविदा के निष्पादन, अर्थ, प्रचालन या लागू होने से या इनके संबंध में पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम 1996 के उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा।

9.37 क्षेत्राधिकार

मध्यस्थता के अध्यक्षीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी। और अब से दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे।

9.38 परिसमाप्त क्षतियां/शास्तियां:-

विक्रेता को पूर्णतया कार्यक्षेत्र के अनुसार और निविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित करनी है इसमें असफल रहने पर संघ लोक सेवा आयोग अन्य किसी अधिकार

अथवा उपलब्ध उपायों के प्रति दुर्भावना व्यक्त किए बिना निर्धारित क्षति के रूप में बोलीदाता से हानि के रूप में इस कार्यालय द्वारा ऐसी किसी धनराशि, जो निश्चित / निर्धारित की गई हो, वसूल कर सकते हैं और सामग्री की सुपुर्दगी के संतोषजनक रूप से पूरा करने में विलंब के लिए एक प्रतिशत प्रति दिन अथवा उसके भाग की दर से अलग से शास्ति न लगाई जाएगी जो विलंब और आपूर्ति के संविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन है। बशर्ते कोई हानि अथवा विलंब किसी भी पक्ष (अनिवार्य बाध्यता) के नियंत्रण से बाहर के किन्हीं कारणों से हुई हो, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को ऐसी हानि अथवा शास्ति जो वे उचित समझे को माफ करने का एकल विवेकाधिकार होगा। शर्त यह भी है कि बोलीदाता लिखित में उन कारणों को ऐसे विलंब की तारीख से अथवा ऐसी हानि के 10 दिन अथवा उसके एक भाग के भीतर ऐसे विलंब अथवा हानि के कारणों को स्पष्ट करेंगे। यदि आपूर्ति में 10 दिनों से अधिक विलंब होता है तो संघ लोक सेवा आयोग आदेश को रद्द कर सकेगा और फर्म की लागत और जोखिम पर किसी अन्य स्रोत से सामग्री प्राप्त करने तथा वेंडर की निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने तथा सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

9.39 दो वर्ष की संविदा के लिए कुल मूल्य लगभग 200 लाख रूपए है।

(अनिल कुमार)

अवर सचिव(बैठक एवं अनुरक्षण)
संघ लोक सेवा आयोग

(अनिल कुमार)

अवर सचिव(बैठक एवं अनुरक्षण)
संघ लोक सेवा आयोग

निविदा प्रपत्र

एसी / नॉन-एसी डी एल वाई टैक्सियों / मिनी बस की आपूर्ति के लिए निविदा

दिनांक :

सेवा में

श्री अनिल कुमार,
अवर सचिव (बैठक एवं अनुरक्षण),
संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस , शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069 ।

संदर्भ: दिनांक का आपका निविदा जांच दस्तावेज़ सं.

हम अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त निविदा दस्तावेज़ की जांच की है और प्रत्येक मद का नमूना देखा है । अब हम निर्धारित प्रारूप में संलग्न तकनीकी बोली में विनिर्देशों के अनुरूप अपेक्षित मदों / सेवाओं की आपूर्ति और सुपुर्दगी करने का प्रस्ताव करते हैं। निर्धारित प्रारूप में हमारी तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली (अलग सीलबंद कवर में) एतद्वारा संलग्न की जाती है और जो इस निविदा का भाग है । जमा धरोहर राशि / बोली प्रतिभूति के रूप में (बैंक का नाम) में देयरु. केवल.....रु.) की राशि का दिनांक का पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट / मियादी जमा रसीद / बैंकर्स चैक सं. एतद्वारा संलग्न है । निविदा जांच दस्तावेज़ के अनुसार अपेक्षित अन्य दस्तावेज़ / कागज़ात भी इसके साथ संलग्न हैं ।

2. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम उपर्युक्त निविदा जांच के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार वित्तीय बोली में उद्धृत दर पर तकनीकी बोली में वर्णित सामान की आपूर्ति करने का वचन देते हैं ।

3. हम आगे यह भी पुष्टि करते हैं कि यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम निविदा जांच की शर्तों में स्वीकार्य रूप में अपेक्षित राशि की एक निष्पादन प्रतिभूति आपको प्रदान करेंगे ।

4. हम हमारी बोली को निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए और यदि संविदा को उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो बोली की स्वीकृति को वैध रखने पर सहमत हैं । हम तदनुसार इस बोली को उपर्युक्त अवधि तक पालन करने की भी पुष्टि करते हैं और उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार की जा सकती है । हम आगे इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त अवधि के भीतर लिखित स्वीकृति के साथ पठित यह बोली हमारे बीच बाध्यकारी संविदा बनाएगी।

5. हम आगे यह समझते हैं कि आप निम्नतम या ऐसी कोई बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपकी ऊपर संदर्भित निविदा जांच के बदले प्राप्त होती है।
6. हम उपर्युक्त निविदा जांच के सभी निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।

.....
(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

.....
(नाम और पदनाम)

..... के लिए और की ओर से निविदा पर
हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

.....
(फर्म की कार्यालय मुहर)

टिप्पणी : फर्म की कार्यालय मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर इस प्रारूप के प्रत्येक पृष्ठ पर किए जाएं।

नमूना

3 फर्मों द्वारा उद्धृत दरों को दर्शानेवाला तालिकाबद्ध विवरण

क्रम सं.	विवरण	फर्म ए		फर्म बी		फर्म सी		एल-1 /एल -2 फर्म के मूल्यांकन के पश्चात सामने आई एल-1 दर	
		एल-2		एल-1					
		दिल्ली राज्य / रा. रा. क्षेत्र		दिल्ली राज्य / रा. रा. क्षेत्र		दिल्ली राज्य / रा. रा. क्षेत्र		दिल्ली राज्य / रा. रा. क्षेत्र	
		एसी	नॉन-एसी	एसी	नॉन-एसी	एसी	नॉन-एसी	एसी	नॉन-एसी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. तथा 10 घंटे	1050	1000	1100	950	1150	1100	1050	950
2.	आधा दिन 40 कि.मी. तथा 5 घंटे	525	500	550	500	600	550	525	500
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	11	10	10.50	9.50	11.50	11	10.50	9.50
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	38	35	40	35	45	40	38	35
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	11	10	10.50	9.50	11.50	11	10.50	9.50
6.	रात्री प्रभार	180	140	200	150	200	180	180	140
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. तथा 240 घंटे	30000	27000	29000	28000	32000	30000	29000	27000
7.1	अतिरिक्त कि.मी.	11	10	10.50	9.50	11.50	11	10.50	9.50
7.2	अतिरिक्त घंटे	38	35	40	35	45	40	38	35

- (1) खंड संख्या 9.2.1 तथा 9.3 के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात यह पाया गया है कि फर्म बी एल-1 फर्म है तथा फर्म ए एल-2 फर्म है।
- (2) दोनों एल-1 तथा एल-2 फर्म अर्थात् उपर्युक्त अनुसार मूल्यांकित फर्म ए, फर्म बी, सामने आई एल-1 दरों / बातचीत के माध्यम से सामने आई एल-1 दरों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम एल-1 दरों पर वाहन मुहैया कराने के लिए बाध्य होंगे।

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- हैचबैक जैसे वैगन आर / स्विफ्ट / आई 10 या समकक्ष।

तालिका -1

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
1		ए सी
1.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
1.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
1.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
1.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
1.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
1.06	रात्रि प्रभार	
1.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
1.071	अतिरिक्त कि.मी.	
1.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- हैचबैक जैसे वैगन आर / स्विफ्ट / आई 10 या समकक्ष।

तालिका -2

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
2		नॉन ए सी
2.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
2.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
2.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
2.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
2.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
2.06	रात्रि प्रभार	
2.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
2.071	अतिरिक्त कि.मी.	
2.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- कास्पैक्ट सीडन [अर्थात 4 मीटर से कम आकार का] जैसे स्विफ्ट डिजायर / हून्डई एक्सेन्ट /
होन्डा अमेज या समकक्ष ।

तालिका -3

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
3		ए सी
3.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
3.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
3.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
3.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
3.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
3.06	रात्रि प्रभार	
3.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
3.071	अतिरिक्त कि.मी.	
3.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- काम्पैक्ट सीडन [अर्थात 4 मीटर से कम आकार का] जैसे स्विफ्ट डिजायर / हुन्डई एक्सेन्ट /
होन्डा अमेज या समकक्ष ।

तालिका -4

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
4		नॉन ए सी
4.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
4.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
4.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
4.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
4.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
4.06	रात्रि प्रभार	
4.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
4.071	अतिरिक्त कि.मी.	
4.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- सीडन जैसे सियाज / होन्डा सिटी / हुन्डई वर्ना या समकक्ष ।

तालिका -5

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
5		ए सी
5.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
5.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
5.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
5.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
5.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
5.06	रात्रि प्रभार	
5.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
5.071	अतिरिक्त कि.मी.	
5.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- सीडन जैसे सियाज / होन्डा सिटी / हुन्डई वर्ना या समकक्ष ।

तालिका -6

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
6		नॉन ए सी
6.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
6.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
6.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
6.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
6.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
6.06	रात्रि प्रभार	
6.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
6.071	अतिरिक्त कि.मी.	
6.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- इको या समकक्ष ।

तालिका - 7

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
7		ए सी
7.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
7.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
7.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
7.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
7.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
7.06	रात्रि प्रभार	
7.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
7.071	अतिरिक्त कि.मी.	
7.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- इको या समकक्ष ।

तालिका - 8

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
8		नॉन ए सी
8.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
8.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
8.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
8.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
8.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
8.06	रात्रि प्रभार	
8.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
8.071	अतिरिक्त कि.मी.	
8.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- एम पी वी / काम्पैक्ट एस यू वी जैसे इटिंगा / स्कार्पियो / डस्टर या समकक्ष ।

तालिका -9

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
9		ए सी
9.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
9.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
9.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
9.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
9.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
9.06	रात्रि प्रभार	
9.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
9.071	अतिरिक्त कि.मी.	
9.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्घत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- एम पी वी / काम्पैक्ट एस यू वी जैसे इटिंगा / स्कार्पियो / डस्टर या समकक्ष ।

तालिका -10

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
10		नॉन ए सी
10.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
10.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
10.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
10.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
10.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
10.06	रात्रि प्रभार	
10.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
10.071	अतिरिक्त कि.मी.	
10.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- इनोवा या समकक्ष ।

तालिका -11

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
11		ए सी
11.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
11.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
11.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
11.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
11.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
11.06	रात्रि प्रभार	
11.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
11.071	अतिरिक्त कि.मी.	
11.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(दैनिक / विपुल मात्रा में / वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपेक्षाएं)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- इनोवा या समकक्ष।

तालिका -12

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
12		नॉन ए सी
12.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
12.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
12.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
12.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
12.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
12.06	रात्रि प्रभार	
12.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
12.071	अतिरिक्त कि.मी.	
12.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(लगजरी वाहन के लिए अपेक्षा)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- लगजरी वाहन जैसे टोयटा अल्टिस / होन्डा सिविक या समकक्ष ।

तालिका -13

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
13		ए सी
13.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
13.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
13.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
13.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
13.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
13.06	रात्रि प्रभार	
13.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
13.071	अतिरिक्त कि.मी.	
13.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(लग्जरी वाहन के लिए अपेक्षा)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

टैक्सी :- लग्जरी वाहन जैसे टोयटा अल्टिस / होन्डा सिविक या समकक्ष ।

तालिका -14

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
14		नॉन ए सी
14.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
14.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
14.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
14.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
14.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
14.06	रात्रि प्रभार	
14.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
14.071	अतिरिक्त कि.मी.	
14.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

(2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।

(4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

मिनी बस की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

मिनी बस की बनावट:

बैठने की क्षमता- 15-20

तालिका -15

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
15		ए सी
15.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
15.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
15.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
15.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
15.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
15.06	रात्रि प्रभार	
15.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
15.071	अतिरिक्त कि.मी.	
15.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

- (2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
- (3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।
- (4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।
- (5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

मिनी बस की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :

मिनी बस की बनावट:

बैठने की क्षमता- 15-20

तालिका -16

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
16		नॉन ए सी
16.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
16.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
16.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
16.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
16.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
16.06	रात्रि प्रभार	
16.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी. एवं 240 घंटे	
16.071	अतिरिक्त कि.मी.	
16.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी:- (1) टोल टैक्स / पार्किंग शुल्क आदि दर में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग-अलग अदा किया जाएगा।

- (2) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा की जाती है तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के रूप में माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
- (3) रात्रि प्रभार 10.00 बजे रात्रि से 4.00 बजे सुबह के बीच लागू होगा।
- (4) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।
- (5) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

जांच सूची

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का दूरभाष /

मोबाइल सं. सहित फर्म /

बोलीदाता का नाम एवं पता:-

1	क्या जमा धरोहर राशि प्रस्तुत की गई है	हां / नहीं
2	क्या वर्ष 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 के दौरान बोलीदाता का वार्षिक कारोबार 100 लाख प्रति वर्ष से कम नहीं है	हां / नहीं
3	यदि हां तो क्या चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित विगत तीन वर्षों अर्थात 2015-2016, 2016-17 एवं 2017-2018 का वार्षिक लेखा संलग्न किया गया है	हां / नहीं
4	क्या वर्ष 2015-2016, 2016-17 एवं 2017-2018 की आयकर विवरणी संलग्न की गई है	हां / नहीं
5	क्या 31.3.2018 तक स्थायी परिसंपत्ति के रूप में दर्शाए गए वाहनों की सूची सहित 2017-18 की आयकर विवरणी संलग्न की गई है	हां / नहीं
6	क्या मिनी बस का विवरण संलग्न किया गया है	हां / नहीं
7	क्या निविदा दस्तावेज की शर्त सं. 4.10 के अंतर्गत निर्धारित की गई अपेक्षाओं के अनुसार एसी / नॉन-एसी का विवरण देते हुए बोलीदाता की अपनी डी एल वाई टैक्सियों की सं. एवं मॉडल को दर्शाते हुए सूची संलग्न की गई है	हां / नहीं
8	क्या तात्कालिक विगत वर्षों में बोलीदाता के पास सरकारी / अर्द्ध-सरकारी / स्वायत्तशासी संगठनों / विभागों में 4 वर्ष का प्रचालन अनुभव है	हां / नहीं
9	क्या बोलीदाता के पास बोली प्रस्तुत करने की तारीख में <u>दो</u> वर्तमान / जारी संविदा है	हां / नहीं
10	यदि हां तो क्या विवरणी प्रस्तुत की गई है	हां / नहीं
11	क्या पैन कार्ड एवं सेवाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है	हां / नहीं
12	क्या अनुबंध-III में दिए गए प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया है	हां / नहीं
13	क्या बोलीदाता ने अपनी वित्तीय बोली में सभी श्रेणी के वाहनों अर्थात अनुबंध-1क से अनुबंध 1त तक की सभी 16 मूल्य अनुसूची की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत की हैं।	हां / नहीं

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम एवं पता

वचनबंध

सेवा में

श्री अनिल कुमार,
अवर सचिव (बैठक एवं अनुरक्षण),
संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली - 69

संदर्भ : आपका दिनांक..... का निविदा जांच दस्तावेज संख्या..... ।

हम अधोहस्ताक्षरी यह प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि हमारे पास मिनी बस का कोई स्वामित्व नहीं है फिर भी हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं और मिनी बस के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार खुले बाजार से मिनी बस किराए पर लेकर आयोग को उपलब्ध कराएंगे।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम तथा पता

अनुबंध-III

सं.लो.से.आ. को डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमाणपत्र

हमने -----(फर्म का नाम एवं पता) आपके दिनांक----- के निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में संघ लोक सेवा आयोग में डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए आपके विचारार्थ तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं:-

1. कि मुहैया कराए जाने वाले एसी / नॉन-एसी वाहन विद्यमान यूरो / भारत स्टेज मानक या समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लागू किसी अन्य मानक के होंगे ।
2. कि मांग के आधार पर तैनात किए जाने वाले वाहन के चालक को दिल्ली की सड़कों से भलीभांति परिचित है।
3. कि हमें निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं ।
4. कि मुझे/हम लोगों को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित या दोषी करार नहीं दिया गया है ।
5. कि हम निविदा आमंत्रण सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र से पूरी तरह से अवगत हैं और हमारी बोली पूर्ण रूप से कार्य क्षेत्र के अनुरूप है ।
6. कि फर्म को न तो किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में डाला गया है और न ही भारत में किसी भी स्थान पर फर्म या इसके मालिक / साझेदार के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत / लंबित है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम तथा पता

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण:

- (1) बोलीदाताओं को [केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) (सीपीपी पोर्टल) पर “ऑनलाइन बीडर इनरॉलमेंट” लिंक पर क्लिक करके जो निःशुल्क है] इनरॉल करना अपेक्षित है।
- (2) इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा।
- (3) बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है। इसे सीपीपी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
- (4) इनरॉलमेंट हो जाने पर बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत (अर्थात सी फी / टी सी एस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) मान्यताप्राप्त द्वारा किसी प्रमाणिक प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी-II या श्रेणी-III प्रमाण पत्र)।
- (5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरुपयोग कर सकता है।
- (6) बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी / पासवर्ड और डीएससी / ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें।

निविदा दस्तावेज़ के लिए सर्च करना :

- (1) सीपीपी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प मौजूद है, कई पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदाओं की

खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है। इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते हैं। निविदा की एडवॉन्सड सर्च के लिए भी विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता सर्च पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, निविदा का फार्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए संयोजित कर सकते हैं।

- (2) एक बार अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज निविदा / कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में ले जाई जा सकती हैं। इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस ई-मेल के माध्यम से निविदा दस्तावेज के संबंध में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी दे सकेगा।
- (3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते हैं।

बोली तैयार करना:

- (1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रख लेना चाहिए।
- (2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज अपेक्षित है। कृपया लिफाफों की संख्या, जिनमें बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर लें। इनसे होने वाले किसी भी विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है।
- (3) बोलीदाता को अग्रिम रूप में बोली दस्तावेज अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और साधारणतया ये दस्तावेज पी डी एफ / एक्स एल एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी जी फार्मेट में होने चाहिए। बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाएगा जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को छोटा करने में मदद करता है।
- (4) मानक दस्तावेजों के अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता "माई स्पेस" क्षेत्र या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध है। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत कर सकते हैं और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय में भी कमी आएगी।

बोली प्रस्तुत करना :

- (1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप में साईट पर लॉगइन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।
- (2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में इंगित किए अनुसार अपेक्षित दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं।
- (3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क/जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफलाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण का विवरण प्रविष्ट करना होगा।
- (4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथावर्णित तारीख तक डाक / कुरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए या संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकृत माध्यम या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा से कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करके सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है। इसे खोलें और अपने वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बीओक्यू फाइल बोलीदाता द्वारा संशोधित की गई पाई जाती है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- (6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।
- (7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन तकनीक पी.के. आई. का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया

गया है। प्रणाली जनित सीमेट्रिक का उपयोग करते हुए सर्वर पर अपलोड किया गया कोई बोली दस्तावेजों सीमेट्रिक इन्क्रिपशन के अधीन है। इसके अतिरिक्त यह कुंजी एसमैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाली सार्वजनिक कुंजी के अधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

- (8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे।
- (9) बोली का सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात पोर्टल में “फ्रिज बिड सबमिशन” को क्लिक करने के बाद) होने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी।
- (10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सहायता

- (i) निविदा दस्तावेज और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत अधिकारी को संबोधित पत्र भेज कर जानकारी प्राप्त की जाए।
- (ii) ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न के लिए 24X7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 1800 3070 2232 है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं।